न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर .ए.एस)

प्रकरण संख्या : दावा 06/17 निर्णय दिनांक : 15.03.2017

बउनवान

1. वीरचंद पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बालूहेडा तह0 कनवास जिला कोटा
2. चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बालूहेडा तह0 कनवास जिला कोटा
3. निरजन प्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड नि0 बालूहेडा तह0 कनवास जिला कोटा
4. चमेलीबाई पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बालूहेडा तह0 कनवास जिला कोटा
5. कान्तीबाई पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बालूहेडा तह0 कनवास जिला कोटा

— वादीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राजस्थान)

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित — श्री रेवतीरमण नागर श्री नरेन्द्र सिंह एडवोकेट वादी की ओर से
पेरोकार सरकार प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास की ओर से

—: निर्णय :—

वादी द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादिनी की माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में खाता नं0 156 की खसरा नं0 269 की 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 270 की 0.06 हैक्टर, व खसरा नं0 272 की 1.73 हैक्टर किता 3 रकबा 1.94 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी के बन्दोबस्त 2058—77 के पूर्व के खसरा नं0 136 मि0 की 1 बीघा 6 बिस्वा के नये नम्बर 269 की 0.15 हैक्टर व 270 की 0.06 हैक्टर, तथा खसरा नं0 138 की 10 बीघा 14 बिस्वा के नये नम्बर 272 की 1.73 हैक्टर बनाये गये। उक्त खसरा नम्बरान के पूर्व खातेदार गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा रिज्यूम दर्ज रेकार्ड है। गणेशराम द्वारा उक्त आराजी का विक्रय वादीगण के पिता जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालालजाति धाकड साकिन बालूहेडा को दिनांक 14.02.1962 को 1200/—रु0 में कर दिया था। वादीगण को विक्रय उपरांत भी उक्त आराजी पर जमाबंदी के कॉलम नं0 4 में रिज्यूम गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 चला आ रहा है, जबकि उक्त आराजी कालान्तर में माफी पुण्यार्थ थीं, रिजम्पशन गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा उपकृषक वादीगण के पिता जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालालजाति धाकड साकिन बालूहेडा इन्द्राज हो रहा था। गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा के खातेदार टीनेन्ट होने से उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीगणअ के पिता को विक्रय करने के बाद से ही वादीगण के पिता जगन्नाथ जी की मौजूदगी में उनके द्वारा बहैसियत खातेदार कृषक कब्जे काश्त किया तथा वादीगण के पिता जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नाम दिसस्त में आया तथा आज वादीगण बहैसियत खातेदार कृषक कब्जे काश्त कर रहे हैं। उक्त वाद पत्र के पेरा नं0 1 में वर्णित आराजी में माफी पुण्यार्थ का रिजम्पशन हो जाने के बाद भी रिज्यूम गणेशराम दर्ज है तथा वादीगण का नाम उपकृषक में दर्ज है, जो कि वादीगण के हितों के सर्वथा विपरीत है, जबकि वादीगण उक्त आराजी का पूर्ण उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा जो कि उक्त आराजी का विक्रय करके सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर चुका है, जिसका इस आराजी में अब कोई हित निहित नहीं है, इस कारण गणेशराम का नाम खाते से हटना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय से इन्द्राज दुरुस्ती करवाये तथा इन्द्राज दुरुस्ती करवा कर रिज्यूम गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा का नाम खाते से हटवाये। उक्त वाद में गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा के द्वारा विक्रय की गई आराजी का प्रतिफल प्राप्त कर लिये जाने व विक्रय के समय से वादीगण का निर्बाध कब्जा काश्त होने से गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा का हित प्रभावित नहीं होने के उपरांत भी जर्ये प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2017 आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवान के अन्तर्गत गणेशराम को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण के द्वारा रिज्यूम गणेशराम पुत्र रामकिशन का नाम खाते से हटाने हेतु सरकार नुमाइन्दों से कई मर्तबा निवेदन करने पर भी नाम न हटाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। विवादित आराजियात माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वदीगण द्वारा पुनः निवेदन किया गया कि माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास की खसरा नं0 269 की 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 270 की 0.06 हैक्टर, व खसरा नं0 272 की 1.73 हैक्टर किता 3 रकबा 1.94 हैक्टर आराजी में इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री पारित की जाकर खाते से रिज्यूम गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा का नाम हटाये जाने व वादीगण के नाम से उपकृषक शब्द हटाकर खातेदार दर्ज किये जाने की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी नं0 1 ने उपस्थित होकर दिनांक 11.02.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्पूर्ण राजस्थान में जागीदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद खाते से माफी शब्द हटाकर सेवादारों को खुदकाश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। रिज्यूम शब्द खाते से हटाने में आपत्ती नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने हमारे ध्यान में प्रस्तुत उद्धरण आरआरडी 1985 पेज संख्या 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एवं आरबीजे (13)2006 पेज संख्या 190–192 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर सरवनजीत बनाम सरकार व अन्य की और हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें माफी के 01.07.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राज्य सरकार भूमिधारक के स्थान पर विपक्षीगणों को धारा 13 आरटीएक्ट तथा धारा 9 व 10 जागीर एक्ट के अनुसार दर्ज किया गया। धारा 193 आरटीएक्ट पेश की, जिसमें स्पष्ट रुप से प्रावधान किया गया है कि यदि जिला कलक्टर यह घोषित कर दे कि उन सेवाओं की जो ग्राम सेवक करता है, आयन्दा आवश्यकता नहीं है तो उक्त ग्राम सेवक अपनी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो जायेगा तथा तद्नुसार लगान भुगतान करने का

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला काट (राज0)

मानी होगा। राजस्थान सरकार के पत्र कमांक / एफ.2(682)Rev. / B / 62 Date 05.06.1965 व Date 11.03.1966 व अधिसूचना दिनांक 10.05.1966 से तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफी चौकीदार, माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो गया है। प्रस्तुत दावा, राजस्व रेकार्ड, विक्रय पत्र एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्धरण का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास की खसरा नं0 269 की 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 270 की 0.06 हैक्टर, व खसरा नं0 272 की 1.73 हैक्टर किता 3 रकबा 1.94 हैक्टर आंराजी की इन्द्राज दुरुस्ती की, डिकी पारित की जाकर खाते से रिज्यूम गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा का नाम हटाया जावे व वादीगण के नाम से उपकृषक शब्द हटाकर खातेदार दर्ज किये जाने की डिकी सादिर पारित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास की खसरा नं0 269 की 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 270 की 0.06 हैक्टर, व खसरा नं0 272 की 1.73 हैक्टर किता 3 रकबा 1.94 हैक्टर आराजी में इन्द्राज दुरुस्ती की डिकी पारित की जाकर खाते से गणेशराम पुत्र रामकिशन ब्रा0 साकिन बाछीहेडा का नाम हटाये जाने व वादीगण के नाम से उपकृषक शब्द हटाकर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अंतिम डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनाक 15.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरी कुमार बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी (राज०)
कनवास जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1. वीरचंद पुत्र जगन्नाथ।
2. चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ।
3. निरजन प्रसाद पुत्र जगन्नाथ।
4. चमेलीबाई पत्रि जगन्नाथ।
5. कान्तीबाई पुत्रि जगन्नाथ जातियान धाकड निवासी बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादी

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नं. 06/17 सन 2017 निर्णय दिनाक 15.03.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवाकेट श्री रेवतीरमण नागर, श्री नरेन्द्र सिंह एडवाकेट मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास की खसरा नंबर 269 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 270 की 0.06 है0, खसरा नंबर 272 की 1.73 है0, किता 03 की 1.94 है0, आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित की जाकर खाते से रिज्यूम गणेशराम पुत्र रामकिशन जाति ब्राहम्ण बाछीहेडा का नाम खाते से हटाया जावे व वादीगण के नाम से उपकृषक शब्द हटाकर खातेदार दर्ज घोषित किया जाता है। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ... मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह मार्च सन 2017 को जारी की गई।

मोहर .....

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	...			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प कागज सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	...		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)
(श्री[illegible] जैन)
(R.[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा